

## बिल का सारांश

### वेतन का भुगतान (संशोधन) बिल, 2017

- श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 3 फरवरी, 2017 को लोकसभा में वेतन का भुगतान (संशोधन) बिल, 2017 पेश किया। बिल वेतन का भुगतान एक्ट, 1936 में संशोधन करता है।
- बिल 28 दिसंबर, 2016 को जारी किए गए वेतन का भुगतान अध्यादेश, 2016 का स्थान लेता है।
- **वेतन के भुगतान का तरीका** : 1936 के एक्ट के तहत सभी प्रकार के वेतन को या तो सिक्कों या करंसी नोट या दोनों में चुकाया जाना चाहिए। लेकिन कर्मचारी की लिखित अनुमति हासिल करने के बाद नियोक्ता उसे चेक द्वारा वेतन दे सकता है या वेतन को उसके बैंक खाते में जमा कर सकता है।
- बिल किसी कर्मचारी के वेतन को निम्नलिखित तरीके से चुकाने की अनुमति देने के लिए 1936 के एक्ट में संशोधन करता है : (i) सिक्कों या करंसी नोट्स में, (ii) चेक द्वारा, या (iii) उनके बैंक खाते में जमा करके। बिल इस शर्त को हटाता है कि वेतन को चेक द्वारा देने या उसे बैंक खाते में जमा करने के लिए किसी नियोक्ता को कर्मचारी की लिखित अनुमति लेनी होगी।
- हालांकि संबंधित केंद्र या राज्य सरकार कुछ विशिष्ट औद्योगिक या अन्य इस्टैबलिशमेंट्स को यह निर्देश दे सकती है कि उनके नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को केवल (i) चेक द्वारा, या (ii) कर्मचारी के बैंक खाते में जमा करने के माध्यम से वेतन चुकाना होगा।

**अस्वीकरण:** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च [पीआरएस] की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।